



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250432  
CG-DL-E-05122023-250432

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 796]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945

No. 796]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2023

फा. नं. पीएनजीआरबी/एडमिन/12-एचआर (05)/2021 (ई-3651).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड इसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2007 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2007 में:

- (i) विनियम 17 के उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा;

"(1क) व्यक्तिगत परामर्शदाता की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए संबंधित सदस्य की सिफारिश पर अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ii) विनियम 17 के उप-विनियम (3) के खंड (ख) में;

- (a) 'पांच' शब्द को 'छह' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (b) "बशर्ते कि..." से शुरू होने वाले शब्द और "स्तर V नहीं होगा " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

(iii) विनियम 17 के खंड (ग) उप-विनियम (6) के परंतुक के उपखंड (ii) में वर्ष 2021 को वर्ष 2023 से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) विनियम 17 के उप-विनियम (7) के खंड (च) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक को शामिल किया जाएगा;

"बशर्ते कि बोर्ड अपने विवेक पर व्यक्तिगत परामर्शदाता के पद के लिए आवेदक की आयु और व्यक्तिगत परामर्शदाता को रखने के लिए आयु में छूट दे सकता है"

(v) अनुसूची II में;

- (a) "श्रेणी" शब्द को "स्तर" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (b) "व्यक्तिगत परामर्शदाता की श्रेणी" शीर्षक के अंतर्गत 'स्तर' शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (c) 'अधिमानित वर्षों में अनुभव' शीर्षक के लिए:
- (i) "पांच तक" शब्दों को "0-3" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) "पांच से अधिक दस तक" शब्दों को "न्यूनतम 03" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) "दस से अधिक पंद्रह तक" शब्दों को "न्यूनतम 06" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) "पंद्रह से अधिक बीस तक" शब्दों को "न्यूनतम 10" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) "20 वर्षों से अधिक" शब्दों को 'न्यूनतम 12' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (d) अंत में, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

VI	न्यूनतम 15 वर्ष
----	-----------------

(6) अनुसूची III में;

- (a) "एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक" शब्दों के बाद, "प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10% की वृद्धि के साथ" शब्द शामिल किए जाएंगे;
- (b) "एकमुश्त मासिक पारिश्रमिक" शीर्षक के तहत:
- i. पंक्ति I से V में, "प्रत्येक वर्ष के पूरा होने पर 10% की वृद्धि के साथ" शब्द लोप कर दिए जाएंगे।
- ii. पंक्ति I में, "₹65,000/- की राशि को "₹ 70,000/- की राशि "से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- iii. पंक्ति II में, "₹85,000/-" की राशि को "₹90,000/-" की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- iv. पंक्ति III में, "₹1,00,000/-" की राशि को "₹1,20,000/- की राशि "से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- v. पंक्ति IV में, "₹1,10,000/-" की राशि को "₹1,40,000 की राशि "प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- vi. पंक्ति V में, "₹1,30,000/-" की राशि को "₹1,75,000 "की राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

vii. अंत में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा;

VI.	₹2,50,000/-
-----	-------------

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./578/2023-24]

**पाद टिप्पणी:** मूल विनियमों को सं. जीएसआर 36 (ई) 2007 0को अधिसूचित किया गया था और बाद में अधिसूचना प्रशासन एस-/[फा.सं. II/XI/2012] द्वारा दिनांक 10.04.2012 और अधिसूचना फा.सं. एस-प्रशासन/II/XI/2012 द्वारा दिनांक 23.03.2018 और फा.सं.पीएनजीआरबी/एडमिन/12-एचआर (05)/2021, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

## PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

### NOTIFICATION

New Delhi, 1<sup>st</sup> December, 2023

**F. No. PNGRB/Admin/12-HR (05)/2021 (E-3651).**—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act 19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Regulations, 2007, namely: —

1. Short title and commencement: —

- (i) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2023.
- (ii) These regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Regulations, 2007:

- (i) After sub-regulation (1) of Regulations 17, the following sub-regulation shall be inserted:
 

“(1A) For the purpose of the engagement of Individual Consultant, the process shall be initiated by the Chairperson on recommendation of the concerned Member”.
- (ii) In clause (b) of sub-regulation (3) of Regulations 17;
  - (c) the word ‘five’, shall be substituted by the word ‘six’;
  - (d) the words beginning with “Provided that....” and ending with “..... Level V for them”, shall be omitted.
- (iii) In sub-clause (ii) of proviso to clause (c) sub-regulation (6) of Regulations 17, the year, “2021” shall be substituted by the year “2023”.
- (iv) After the proviso to clause (f) of sub-regulation (7) of Regulation 17, the following proviso shall be inserted;
 

“Provided further that the Board may at its discretion relax the age of applicant for the position of Individual Consultant and age for retaining the Individual Consultant”
- (v) In Schedule II;
  - (a) For the word “Category”, shall be substituted by the word “Level”;
  - (b) For The word ‘Level’ under the head “Category of Individual Consultant’, shall be omitted;
  - (c) For the head ‘Preferred experience in years’:
    - (i) the words ‘Upto five’, shall be substituted by the numbers “0-3”;
    - (ii) the words “More than five to ten”, shall be substituted by the words “Minimum 03”;
    - (iii) the words “More than ten to fifteen”, shall be substituted by the words “Minimum 06”;
    - (iv) the words “More than fifteen to twenty”, shall be substituted by the words “Minimum 10”;

(v) the words “More than twenty years”, shall be substituted by the words ‘Minimum 12’

(d) At the end, the following shall be inserted:

VI	Minimum 15 years
----	------------------

(6) In Schedule III;

(a) After the words “Lump sum monthly remuneration”, the words “with 10% increase on completion of each year”, shall be inserted;

(b) For under the head “Lump sum monthly remuneration”:

- i. In Rows I to V, the words “with 10% increase on completion of each year”, shall be omitted.
- ii. In Row I, the amount “Rs. 65,000/-”, shall be substituted by the amount “₹ 70,000/-”;
- iii. In Row II, the amount “Rs. 85,000/-”, shall be substituted by the amount “₹ 90,000/-”;
- iv. In Row III, the amount “Rs. 1,00,000/-”, shall be substituted by the amount “₹ 1,20,000/-”;
- v. In Row IV, the amount “Rs. 1,10,000/-”, shall be substituted by the amount “₹ 1,40,000/-”;
- vi. In Row V, the amount “Rs. 1,30,000/-”, shall be substituted by the amount “₹ 1,75,000/-”;
- vii. At the end, the following shall be inserted;

VI	₹ 2,50,000/-
----	--------------

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./578/2023-24]

**Foot Note:** Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 36(E) dated 30<sup>th</sup> November 2007 and subsequently amended *vide* notification [F. No. S-Admn/II/XI/2012] dated 10.04.2012 and notification F. No. S-Admn/II/XI/2012 dated 23.03.2018 and F. No. PNGRB/Admin/12-HR (05)/2021 dated 30th December, 2021